## <u>न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 534 / 2016 इ.फो.

संस्थापन दिनांक : 31.08.2016

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## बनाम

1+गोलू उर्फ आकाश पुत्र संजय वाल्मीक उम्र 19 साल 2-धर्मेन्द्र पुत्र भगवानदास वाल्मीक उम्र 30 साल 3-विकास पुत्र भारत वाल्मीक उम्र 19 साल 4-भारत पुत्र रामस्वरूप वाल्मीक उम्र 40 साल निवासीगण वार्ड नं0 3 वाल्मीक गली इटायली गेट गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्तगण

( आरोप अंतर्गत धारा—294, 324, 506 भाग दो भा०दं०सं० ) ( राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार ) ( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री राजीव शुक्ला )

## <u>निर्णय</u>

( आज दिनांक 09-08-2017 को घोषित )

आरोपीगण पर दिनांक 20.07.16 को 8 बजे इटायली गेट गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी बाबूराम वाल्मीक को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने व बाबूराम वाल्मीक को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी बाबूराम वाल्मीक की आकामक आयुध लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी विकास पर भा0द0स0 की धारा 294, 506 भाग दो एवं 324 तथा आरोपी गोलू उर्फ आकाश, धर्मेन्द्र, एवं भारत पर भा0द0स0 की धारा 294, 506 भाग दो एवं 324/34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.16 को फरियादी बाबूराम दूध लेने इटायली गेट गया था वहां उसे आरोपी विकास, भारतसिंह, गोलू और धर्मेन्द्र मिले थे। आरोपीगण पुरानी रंजिश पर उसे बुरी—बुरी

गालियां देने लगे थे जब उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो विकास ने उसके सिर में लाठी मारी थी जिससे उसके सिर में चोट होकर खून निकलने लगा था। भारत वाल्मीक, गोलू एवं धर्मेन्द्र ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की थी मौके पर उसके भाई राकेश एवं सोनू आ गये थे जिन्होंने उसे बचाया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में अप०क० 185/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपीगण को गिरफतार किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान फरियादी बाबूराम वाल्मीक द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 294, एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी विकास के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 324 तथा आरोपी गोलू उर्फ आकाश, धर्मेन्द्र एवं भारत के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्निलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन हुआ हैं:—

  क्या आरोपीगण ने दिनांक 20.07.16 को 8 बजे इटायली गेट गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में फिरयादी बाबूराम वाल्मीक की आकामक आयुध लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी बाबूराम अ0सा01 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी बाबूराम अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक—डेढ़ साल पहले की है वह दूध लेने इटायली गेट पर गया था वहां उसे आरोपीगण मिले थे। आरोपीगण से उसका मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गाली गलीच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं थी। उसने इसी बात की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र0पी—1 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूटा लगाया था। नक्शामौका प्र0पी—2 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूटा लगाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने लाठियों से उसकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी भारत, गोलू एवं धर्मेन्द्र ने उसे लात घूंसे मारे थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा

मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी—1 एवं पुलिस कथन प्र0पी—3 में पुलिस को लिखाई थी।

- इस प्रकार फरियादी बाबूराम अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि आरोपीगण से मात्र उसका मुंहवाद हुआ था अन्य कोई बात नहीं हुई थी उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान लाठियों से उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट किए जाने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी—1 एवं पुलिस कथन प्र0पी-3 में पुलिस को लिखवाई थी। इस प्रकार फरियादी बाबूराम अ०सा०१ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्व ारा मारपीट करने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़ के दौरान आरोपीगण ने फरियादी बाब्राम की आक्रामक आयुध लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।
- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 20.07.16 को 8 बजे इटायली गेट गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी बाबूराम वाल्मीक की आकामक आयुध लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी विकास को भा0द0स0 की धारा 324 एवं आरोपी गोलू उर्फ आकाश, धर्मेन्द्र, एवं भारत को भा0द0स0 की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए
- . प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। गोहद :–09.08.17 एवं दिनांकित कर, घोषित किया गया स्थान–गोहद

दिनांक :--09.08.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)